न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. : 65 / 2020 (2020 / 00104)

अपीलान्ट्स

गोविन्द मेहरा पुत्र अमृतलाल मेहरा, जाति मेहरा, निवासी पहाडा, जैसलमेर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध तहसीलदार जोधपुर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 386 ग्राम सांगरिया दिनांक 12.09.1994 को स्वीकृत किया गया।

————

उपस्थिति :–

1. अधिवक्ता श्री शैतानराम चौधरी (अपीलान्ट्)।
2. रेस्पोडेन्ट नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित।

—: आदेश :— दिनांक :— 25.10.2021

श्रीमान जिला कलक्टर जोधपुर के आदेश क्रमांक / कोर्ट / डीएम / 20 / 1604 दिनांक 18.12.2020 की अनुपालना में अपील पंजीबद्ध कर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जोधपुर से मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित। मूल रिकॉर्ड प्राप्त होने पर अपीलान्ट अभिभाषक की बहस दिनांक 05.10.2021 को सुनी गई।

संक्षिप्त में अपील अपीलान्ट तथ्य इस प्रकार है कि अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 तहसीलदार जोधपुर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 386 ग्राम सांगरिया दिनांक 12.09.1994 को स्वीकृत किया गया, के विरूद्ध में की है कि कृषि भूमि खेत खसरा नं0 405 / 230 रकबा 02 बिस्वा 06 बिस्वांशी यानि 222.22 वर्गगज अपीलान्ट की एकल खातेदारी की स्थित है। पूर्व में उक्त वर्णित मूल खसरा संख्या 230 / 2 रकबा 16 बीघा 04 बिस्वा कृषि भूमि श्री बालीचन्द, श्री कानाराम, अणतराम, मदनलाल, श्री श्यामलाल पुत्रान् स्व0 श्री [illegible] जातियान घांची, निवासीगण –

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:19:22 IST
Reason: SelfAttested

सोजतियां घांचियों का बास, जोधपुर की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि थी। तत्पश्चात् उक्त खसरे की भूमि को छोटे–छोटे कृषि चकों में विभक्त कर दिया, जिसमें से कृषि चक संख्या 63 व 64 प्रत्येक बनाप 25ग्40 त्र 1000 वर्गफुट यानि दोनो चकों का कुल नाप 2000 वर्गफुट यानि 222.22 वर्गगज अर्थात् 02 बिस्वा 06 बिस्वांशी कृषि भूमि को अपीलान्ट ने जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 25.08.1994 को पूर्व खातेदारान् बालीचन्द वगैरा के आम मुख्त्यार श्री लक्ष्मणराम पटेल से खरीद कर लिया। बाद खरीद जब उक्त बेचाननामा के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया, उसमें लिपिकीय भूलवंश या त्रुटिवंश उक्त खरीदाशुदा भूमि को नये खसरा नं0 405/230 रकबा 02 बिस्वा 10 बिस्वांशी यनि 240 वर्गगज का नामान्तरकरण संख्या 386 दिनांक 12.09.1994 को अपीलान्ट के नाम स्वीकृत किया गया जबकि वास्तविकता में अपीलान्ट की खरीदशुदा भूमि का रकबा 02 बिस्वा 06 बिस्वांशी यानि 222.22 वर्गगज है, जिससे व्यथित होकर अपील मीमो मय धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र पेश हुई।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस में बतलाया कि कृषि भूमि खेत खसरा नं0 405/230 रकबा 02 बिस्वा 06 बिस्वांशी यानि 222.22 वर्गगज अपीलान्ट की एकल खातेदारी की स्थित है। पूर्व में उक्त वर्णित मूल खसरा संख्या 230/2 रकबा 16 बीघा 04 बिस्वा कृषि भूमि श्री बालीचन्द, श्री कानाराम, अणतराम, मदनलाल, श्री श्यामलाल पुत्रान् स्व0 श्री लक्ष्मणजी, जातियान घांची, निवासीगण – सोजतियां घांचियों का बास, जोधपुर की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि थी। तत्पश्चात् उक्त खसरे की भूमि को छोटे–छोटे कृषि चकों में विभक्त कर दिया, जिसमें से कृषि चक संख्या 63 व 64 प्रत्येक बनाप 25ग्40 त्र 1000 वर्गफुट यानि दोनो चकों का कुल नाप 2000 वर्गफुट यानि 222.22 वर्गगज अर्थात् 02 बिस्वा 06 बिस्वांशी कृषि भूमि को अपीलान्ट ने जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 25.08.1994 को पूर्व खातेदारान् बालीचन्द वगैरा के आम मुख्त्यार श्री लक्ष्मणराम पटेल से खरीद कर लिया। बाद खरीद जब उक्त बेचाननामा के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया, उसमें लिपिकीय भूलवंश या त्रुटिवंश उक्त खरीदाशुदा भूमि को नये खसरा नं0 405/230 रकबा 02 बिस्वा 10 बिस्वांशी यनि 240 वर्गगज का नामान्तरकरण संख्या 386 दिनांक 12.09.1994 को अपीलान्ट के नाम स्वीकृत किया गया जबकि वास्तविकता में अपीलान्ट की खरीदशुदा भूमि का रकबा 02 बिस्वा 06 बिस्वांशी यानि 222.22 वर्गगज है जो कि पंजीबद्ध बेचाननामा में दर्ज है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकर की जाकर नामान्तरकरण को निरस्त फरमावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:19:22 IST
Reason: SelfAttested

अपीलार्थी अभिभाषक ने अपनी बहस में यह भी बतलाया कि अपीलान्ट अपनी खरीदशुदा खातेदारी की उपरोक्त कृषि भूमि बाबत् पट्टा विलेख प्राप्त करने हेतु कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में आवेदन किया, जिस हेतु बेचाननामा व राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी की नकले प्रस्तुत की तो वहां के कमचारियों ने बतालाया कि बेचाननामें में आपकी खरीदशुदा भूमि का नाप 222.22 वर्गगज अर्थात् 02 बिस्वा 06 बिस्वांशी दर्ज है, जबकि राजस्व रिकॉर्ड में आपके नाम 240 वर्गगज अर्थात् 02 बिस्वा 10 बिस्वांशी का नामान्तरकरण दर्ज हुआ है। इस कारण रिकार्ड दुरूस्ती करवाने के पश्चात ही उक्त भूमि के पट्टे जारी किये जा सकते है। इस कारण अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाकर अपीलान्ट का बेचाननामें के आधार पर पुनः नामान्तरकरण भरे जाने का आदेश दिलावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष अभिभाषक की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल नामान्तरकरण का भी अवलोकन किया। प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय करने से पहले प्रार्थना–पत्र धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना–पत्र धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम में बतलाया कि प्रार्थी ने विवादग्रस्त भूमि की जमाबन्दी दिनांक 02.12.2020 ली तब उसे जानकारी में आया कि प्रार्थी के नाम नामान्तरकरण बेचाननामें में दर्ज रकबे से अधिक रकबे का दर्ज कर दिया। इस कारण प्रथम ज्ञान से उक्त अपील अन्दर मियाद शुमार की जावें। रेस्पोडेन्ट पक्ष नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा बताया गये विलम्ब के कारण क्षमा योग्य होने से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपील का गुणावगुण पर निर्णय इस प्रकार है कि यह तथ्य निर्विवादित है कि भूखण्ड संख्या 63 व 64 प्रत्येक बनाप 25ग्40 त्र 1000 वर्गफुट यानि दोनो चकों का कुल नाप 2000 वर्गफुट यानि 222.22 वर्गगज अर्थात् 02 बिस्वा 06 बिस्वांशी कृषि भूमि को अपीलान्ट ने जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 25.08.1994 को पूर्व खातेदारान् बालीचन्द वगैरा के आम मुख्त्यार श्री लक्ष्मणराम पटेल से खरीद किया। बाद खरीद जब उक्त बेचाननामा के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया, जिसमें उक्त खरीदाशुदा भूमि को नये खसरा नं0 405/230 रकबा 02 बिस्वा 10 बिस्वांशी यनि 240 वर्गगज का नामान्तरकरण संख्या 386 दिनांक 12.09.1994 को अपीलान्ट के नाम स्वीकृत किया

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:19:22 IST
Reason: SelfAttested

गया जबकि वास्तविकता में अपीलान्ट की खरीदशुदा भूमि का रकबा 02 बिस्वा 06 बिस्वांशी यानि 222.22 वर्गगज है जो कि पंजीबद्ध बेचाननामा में दर्ज है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 386 दिनांक 12.09.1994 ग्राम सांगरिया अपीलार्थी के पक्ष में स्वीकार किया गया की भूमि सीमा तक निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार जोधपुर को प्रकरण प्रतिप्रेषित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के पक्ष में हुए बेचानानामा दिनांक 25.08.1994 के आधार पर पुनः नामान्तरकरण की कार्यवाही करें। आदेश की प्रति के साथ मूल अभिलेख अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

निर्णय आज दिनांक 25.10.2021 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:19:22 IST
Reason: SelfAttested